

अध्याय १

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपकरणों का
संक्षिप्त अवलोकन

अध्याय 1

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का संक्षिप्त अवलोकन

1.1 प्रस्तावना

राज्य सरकार की कंपनियों एवं सांविधिक निगमों से राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सा.क्षे.उ.) बनते हैं। राज्य ने सा.क्षे.उ. में ₹ 39,383.18 करोड़ का निवेश किया - इक्विटी: ₹ 8,643.43 करोड़ तथा दीर्घावधि ऋण: ₹ 30,739.75 करोड़। राज्य सा.क्षे.उ. की मुख्य गतिविधियां विद्युत क्षेत्र में संकेन्द्रित हैं। 31 मार्च 2014 को 26 कंपनियां तथा दो सांविधिक निगमों सहित 28 सा.क्षे.उ. थे। 2013-14 के दौरान तीन अकार्यरत कंपनियां - हरियाणा राज्य हैंडलूम तथा हैंडीक्राफ्ट निगम लिमिटेड, हरियाणा राज्य लघु उद्योग और नियात निगम लिमिटेड तथा हरियाणा टेनरीज लिमिटेड बंद हो चुकी थीं।

1.2 लेखापरीक्षा अधिकार – पत्र

सरकारी कंपनियों की लेखापरीक्षा, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 द्वारा शासित है। सैक्षण 617 के अनुसार, सरकारी कंपनी वह है जिसमें कम से कम 51 प्रतिशत प्रदत्त पूँजी सरकार द्वारा रखी जाती है। एक सरकारी कंपनी में उस सरकारी कंपनी की नियन्त्रित कंपनी शामिल होती है। पुनः, कंपनी अधिनियम के सैक्षण 619-बी के अनुसार, सरकार, सरकारी कंपनियों एवं सरकार द्वारा नियन्त्रित निगमों के किसी भी संयोजन का जिस कंपनी में 51 प्रतिशत की प्रदत्त पूँजी होती है वह सरकारी कंपनी के तुल्य (मानक सरकारी कंपनी) समझी जाती है।

राज्य सरकार की ऐसी कंपनियों के लेखे, कंपनी अधिनियम, 1956 के सैक्षण 619(2) के प्रावधानों के अनुसार भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक (नि.म.ले.प.) द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित किये जाते हैं। ये लेखे कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के प्रावधानों के अनुसार नि.म.ले.प. द्वारा संचालित पूरक लेखापरीक्षा के अन्तर्गत भी आते हैं।

सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनके संबंधित विधानों द्वारा शासित होती है। हरियाणा राज्य वेयरहाउसिंग निगम तथा हरियाणा वित्तीय निगम के संबंध में लेखापरीक्षा चार्टर्ड लेखाकारों तथा पूरक लेखापरीक्षा नि.म.ले.प. द्वारा संचालित की जाती है।

1.3 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में निवेश

नीचे दिए गए विवरण के अनुसार 28 सा.क्षे.उ. (एक 619-बी कंपनी सहित) में 31 मार्च 2014 को निवेश (पूँजी एवं दीर्घावधि ऋण) ₹ 39,383.18 करोड़ था।


तालिका 1.1

(₹ करोड़ में)

सा.क्षे.उ. की श्रेणी		संख्या	इक्विटी	दीर्घावधि ऋण	योग
कार्यरत	सरकारी कंपनियां	22	8,411.95	30,545.55	38,957.50
	साविधिक निगम	2	213.50	92.87	306.37
	योग	24	8,625.45	30,638.42	39,263.87
अकार्यरत	सरकारी कंपनियां	4	17.98	101.33	119.31
	साविधिक निगम	-	-	-	-
	योग	4	17.98	101.33	119.31
कुल योग		28	8,643.43	30,739.75	39,383.18

राज्य सा.क्षे.उ. में सरकारी निवेश का सार परिशिष्ट I में वर्णित है।

31 मार्च 2014 को, राज्य सा.क्षे.उ. में कुल निवेश का 99.70 प्रतिशत कार्यरत सा.क्षे.उ. में तथा शेष 0.30 प्रतिशत अकार्यरत सा.क्षे.उ. में था। यह कुल निवेश, 21.95 प्रतिशत पूँजी एवं 78.05 प्रतिशत दीर्घावधि ऋणों से बना था। निवेश 2009-10 में ₹ 24,307.45 करोड़ से 62.02 प्रतिशत बढ़कर 2013-14 में ₹ 39,383.18 करोड़ हो गया था। उसी अवधि के दौरान, निवेश-वृद्धि में पूँजी, 2009-10 में ₹ 6867.94 करोड़ से 25.85 प्रतिशत बढ़कर 2013-14 में ₹ 8,643.43 करोड़ हो गई तथा ऋण, ₹ 17,439.51 करोड़ से 76.26 प्रतिशत बढ़कर ₹ 30,739.75 करोड़ तक पहुंच गए। कुल निवेश में वृद्धि नीचे ग्राफ में दर्शाई गई है।



निवेश का मुख्य बल विद्युत क्षेत्र था। यह 2009-10 के दौरान ₹ 22,992.57 करोड़ से 2013-14 के दौरान ₹ 35,969.90 करोड़ तक बढ़ गया था। संपूर्ण निवेश में इसका भाग, तथापि, प्रतिशतता में 94.59 प्रतिशत से 91.33 प्रतिशत तक अल्प मात्रा में घट गई। मूलभूत संरचना क्षेत्र में भी निवेश 2009-10 में ₹ 437.39 करोड़ से 2013-14 में ₹ 2,752.10 करोड़ तक बढ़ गया।

1.4 बजटीय बहिर्गमन, अनुदान/परिदान, गारंटियां एवं ऋण

राज्य सरकार द्वारा राज्य सा.क्षे.उ. के संबंध में इक्विटी, ऋणों, अनुदानों/परिदानों, गारंटियों के जारी किये जाने, ऋणों के बट्टे खाते डालने, ऋणों के इक्विटी में परिवर्तन एवं ऋण माफी के लिये बजटीय बहिर्गमन का विवरण परिशिष्ट 3 में दिया गया है। 2013-14 को समाप्त तीन वर्षों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है।

तालिका 1.2

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2011-12		2012-13		2013-14	
		सा.क्षे.उ. की सरव्या	राशि	सा.क्षे.उ. की सरव्या	राशि	सा.क्षे.उ. की सरव्या	राशि
1.	बजट से इक्विटी पूँजी बहिर्गमन	9	726.80	7	199.65	6	102.92
2.	बजट से विए गए ऋण	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	1	6.48
3.	प्राप्त अनुदान/परिदान	13	7,320.55	10	10,319.97	11	10,639.10
4.	कुल बहिर्गमन (1+2+3)	16	8,047.35	13 ¹	10,519.62	13 ¹	10,748.50
5.	जारी गारंटिया	6 ¹	1,654.25	5	15,908.95	5	10,425.04
6.	गारंटी व्यवस्था	10	3,596.34	9	17,111.18	9	25,074.45

ऋण प्राप्त करने के लिए कार्यरत सा.क्षे.उ. को राज्य सरकार द्वारा जारी गारंटियां 2012-13 में ₹ 15,908.95 करोड़ से घटकर 2013-14 में ₹ 10,425.04 करोड़ हो गई। 31 मार्च 2014 को गारंटी की बकाया राशि ₹ 25,074.45 करोड़ थी। 1 अगस्त 2001 से सा.क्षे.उ. के सभी उधारों पर राज्य सरकार ने दो प्रतिशत की दर से गारंटी फीस लगा दी। राज्य सा.क्षे.उ. द्वारा 2013-14 के दौरान देय गारंटी फीस ₹ 242.19 करोड़ थी जिसमें से ₹ 2.01 करोड़ का शेष छोड़ते हुए ₹ 240.18 करोड़ का भुगतान किया गया था। चूककर्ता हरियाणा राज्य वेयरहाउसिंग निगम था।

1.5 वित्त लेखाओं का मिलान

राज्य सा.क्षे.उ. के रिकार्ड के अनुसार इक्विटी, ऋणों एवं बकाया गारंटियों के आंकड़े राज्य के वित्त लेखाओं में दर्शित आंकड़ों के समान होने चाहिए। आंकड़ों के समान न होने पर संबंधित सा.क्षे.उ. एवं वित्त विभाग को अन्तरों का मिलान करना चाहिए। 31 मार्च 2014 को इस विषय में स्थिति नीचे बताई गई है।

तालिका 1.3

(₹ करोड़ में)

से संबंधित बकाया	वित्त लेखाओं के अनुसार राशि	सा.क्षे.उ. के अभिलेखों के अनुसार राशि	अंतर
इक्विटी	7,015.18	7,456.55	441.37
ऋण	1,130.39	247.73	882.66
गारंटियां	25,658.30	25,074.45	583.85

¹ कंपनियों/निगमों की वास्तविक सरव्या का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्होंने संबंधित वर्षों के दौरान राज्य सरकार से इक्विटी, ऋणों, अनुदानों तथा परिदानों के रूप में बजटीय समर्थन प्राप्त किया।

ये अन्तर, 16 सा.क्षे.उ. के संबंध में घटित पाया गया था। सरकार तथा सा.क्षे.उ. को समयबद्ध ढंग से अंतरों के मिलान के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए।

1.6 सार्वजनिक क्षेत्र उपकरणों का निष्पादन

सरकारी कंपनियों तथा सांविधिक निगमों के उस नवीनतम वर्ष, जिसके लेखे अंतिमकृत किए गए थे, के संक्षिप्त वित्तीय परिणाम परिशिष्ट 2 में दिए गए हैं। 24² कार्यरत सा.क्षे.उ. ने पूरक लेखापरीक्षा के लिए अपने लेखे प्रस्तुत किए, जिनमें से 15 सा.क्षे.उ. ने ₹ 118.21 करोड़ का लाभ अर्जित किया, आठ सा.क्षे.उ. ने ₹ 4,032.54 करोड़ की हानि उठाई तथा एक सा.क्षे.उ. (हरियाणा कोयला कंपनी लिमिटेड) द्वारा अभी वाणिज्यिक गतिविधियां आरंभ करनी शेष है। हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (₹ 83.19 करोड़) मुख्य लाभ अर्जक था। उन्नर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (₹ 2,296.85 करोड़), दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (₹ 1,352.41 करोड़) हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (₹ 175.14 करोड़), हरियाणा राज्य भंडारण निगम (₹ 138.51 करोड़), हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड (₹ 44.13 करोड़) तथा हरियाणा पावर जेनरेशन कार्पोरेशन लिमिटेड (₹ 25.50 करोड़) द्वारा भारी नुकसान उठाए गए थे। दो सा.क्षे.उ. ने ₹ 0.26 करोड़ का लाभांश घोषित किया तथा तेरह सा.क्षे.उ. ने कोई लाभांश घोषित नहीं किया।

नियंत्रक - महालेखापरीक्षक के पिछले तीन वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की समीक्षा दर्शाती है कि कार्यरत राज्य सा.क्षे.उ. ने ₹ 2,740.59 करोड़ की नियंत्रणयोग्य हानियां/परिहार्य व्यय किया तथा ₹ 38.39 करोड़ के निष्फल निवेश किया जिन्हें बेहतर प्रबन्धन से नियंत्रित किया जा सकता था। विवरण नीचे तालिका में दिए गए हैं:

तालिका 1.4

(₹ करोड़ में)

विवरण	2011-12	2012-13	2013-14
नियंत्रक - महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अनुसार नियंत्रणयोग्य हानियां/परिहार्य व्यय	1,497.16	126.45	1,116.98
निष्फल निवेश	36.97	--	1.42

1.7 लेखाओं के अंतिमकरण में बकाया

कंपनी अधिनियम, 1956 के सैक्षण 166, 210, 230, 619-ए और 619-बी के अधीन कंपनियों के प्रत्येक वर्ष के लेखे संबंधित वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छः मास के अन्दर अंतिमकृत किए जाने अपेक्षित हैं। इसी प्रकार, सांविधिक निगमों के मामले में, उनके लेखे उनके क्रमशः संबंधित अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार अंतिमकृत, लेखापरीक्षित एवं विधानसभा को प्रस्तुत किए जाते हैं।

30 सितंबर 2014 तक कार्यरत सा.क्षे.उ. के द्वारा लेखाओं के अन्तिमकरण के लिए की गई प्रगति का विवरण निम्न तालिका प्रदान करती है।

²

वर्ष 2009-10 के लिए (तीन सा.क्षे.उ.), 2010-11 (तीन सा.क्षे.उ.), 2011-12 (तीन सा.क्षे.उ.), 2012-13 (10 सा.क्षे.उ.) तथा 2013-14 (पांच सा.क्षे.उ.)।

तालिका 1.5

क्र. सं.	विवरण	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
1.	कार्यरत सा.क्षे.उ. की संख्या	21	22	22	24 ³	24
2.	वर्ष के दौरान अन्तिमकृत लेखाओं की संख्या	17	23	22	18	23
3.	बकाया लेखाओं की संख्या	30	29	29	34	35
4.	औसत बकाया प्रति सा.क्षे.उ. (3/1)	1.38	1.32	1.32	1.41	1.46
5.	कार्यरत सा.क्षे.उ., जिनके लेखे बकाया हैं, की संख्या	16	17	17	19	19
6.	बकाया - अवधि (वर्षों में)	1 से 6	1 से 5	1 से 4	1 से 4	1 से 4

कंपनियों द्वारा बताया गया कि लेखाओं के अन्तिमकरण में देरी के मुख्य कारण, प्रशिक्षित स्टाफ की कमी और लेखाओं का कम्प्यूटरीकरण नहीं होना है। उपर्युक्त के अतिरिक्त, अकार्यरत सा.क्षे.उ. द्वारा भी उनके लेखाओं के अन्तिमकरण बकाया थे।

परिसमापनाधीन अकार्यरत सा.क्षे.उ. को छोड़ने के बाद चार अकार्यरत सा.क्षे.उ. में से एक सा.क्षे.उ. के लेखे दो⁴ वर्ष के लिए बकाया थे तथा दूसरे के लेखे एक वर्ष के लिए बकाया थे।

उन वर्षों के दौरान जिनके लेखाओं का अन्तिमकरण नहीं हुआ है, राज्य सरकार ने 12 सा.क्षे.उ. में ₹ 5,527.35 करोड़ (इक्विटी: ₹ 11.96 करोड़, ऋण: ₹ 6.48 करोड़, अनुदान: ₹ 116.97 करोड़ और सबसिडी: ₹ 5,391.94 करोड़) का निवेश किया था, जैसा कि परिशिष्ट 4 में वर्णित है। लेखाओं के अंतिमकरण तथा उनके अनुवर्ती लेखापरीक्षा के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है कि किए गए निवेश तथा व्यय उचित रूप से लेखाओं में लिए गए हैं या नहीं तथा वह उद्देश्य प्राप्त किया गया है या नहीं जिसके लिए राशि निवेश की गई थी। इस प्रकार, ऐसे सा.क्षे.उ. में सरकारी निवेश राज्य विधान सभा की जांच से बाहर रहता है।

प्रशासनिक विभागों के पास इन उपकरणों की गतिविधियां देखने एवं यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है कि इन सा.क्षे.उ. द्वारा निर्धारित अवधि में लेखाओं को अन्तिम रूप दिया जाए एवं अपनाया जाए। प्रधान महालेखाकार (प्र.म.ले.) द्वारा लेखा के बकायों की स्थिति संबंधित प्रशासनिक विभागों के संज्ञान में लाई गई। फिर भी, इस संबंध में कोई सुधारात्मक कदम नहीं उठाए गए। इसके परिणामस्वरूप, 31 मार्च 2014 को इन सा.क्षे.उ. के निवल मूल्य का निर्धारण नहीं किया जा सका। लेखाओं के पुराने बकाया को समयबद्ध ढंग से शीघ्र निपटाने का मामला प्र.म.ले. ने मुख्य सचिव के साथ भी उठाया (जुलाई 2014) किंतु सुधार नहीं किया जा सका।

बकाया की उपर्युक्त स्थिति के दृष्टिगत यह सिफारिश की जाती है कि:

- बकाया के निपटान के निरीक्षण हेतु सरकार एक सैल बना सकती है और प्रत्येक कंपनी के लिए लक्ष्य निश्चित कर सकती है, जिसकी मॉनीटरिंग की जायेगी।
- सरकार आवश्यक निपुणता वाली एजेंसियों की सेवाएं लेने पर विचार कर सकती है।

³ हरियाणा कोल कंपनी लिमिटेड को 24 जनवरी 2013 को निगमित किया गया, अतः इसके लेखे देय नहीं थे।

⁴ हरियाणा राज्य आवासीय वित्त निगम लिमिटेड तथा हरियाणा कॉनकास्ट लिमिटेड।

1.8 अकार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को बन्द करना

31 मार्च 2014 को चार अकार्यरत सा.क्षे.ज. (सभी कंपनियां) थे। इनमें से, दो सा.क्षे.ज.⁵ परिसमापन प्रक्रिया के अधीन थे। तथापि, परिसमापन प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई थी।

अकार्यरत सा.क्षे.ज. को बन्द कर देने की जरूरत है क्योंकि उनके अस्तित्व से कोई उद्देश्य पूर्ण नहीं होता है। 2013-14 के दौरान, एक अकार्यरत सा.क्षे.ज. ने स्थापना पर ₹ 26.40 लाख का व्यय किया। यह व्यय, परिसम्पत्तियों/निवेश के निपटान (₹ 35.68 लाख) के माध्यम से वहन किया गया था। सरकार बची हुई अकार्यरत कंपनियों को बन्द करने के कार्य को तीव्र करने के लिए एक सैल बनाने के बारे में विचार कर सकती है।

1.9 लेखा टिप्पणियां और आन्तरिक लेखापरीक्षा

1 अक्टूबर 2013 से 30 सितम्बर 2014 तक की अवधि के दौरान अठारह कार्यरत कंपनियों ने अपने 21 लेखापरीक्षित लेखे प्र.म.ले. को अग्रेषित किए। 13 लेखाओं के संबंध में पूरक लेखापरीक्षा की गई तथा आठ लेखाओं के लिए असमीक्षा प्रमाण-पत्र जारी किया गया। इसी प्रकार, दोनों सांविधिक निगमों अर्थात् एच.डब्ल्यू.सी. (हरियाणा स्टेट वेयरहाउसिंग कारपोरेशन) ने अपने वर्ष 2012-13 के लेखे तथा एच.एफ.सी. (हरियाणा वित्तीय निगम) ने अपने 2013-14 के लेखे भेजे। दो सांविधिक निगमों अर्थात् एच.डब्ल्यू.सी. तथा एच.एफ.सी. (पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान प्राप्त 2012-13 के लेखे) की टिप्पणियां अंतिमकृत की गई। नि.म.ले.प. द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों एवं नि.म.ले.प. की पूरक लेखापरीक्षा ने इंगित किया कि लेखाओं के अनुरक्षण की गुणवत्ता को काफी सुधारने की जरूरत थी। सांविधिक लेखापरीक्षकों और नि.म.ले.प. की टिप्पणियों के कुल धन मूल्य के विवरण नीचे दिए गए हैं।

तालिका 1.6

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	कंपनियां				निगम			
		2012-13		2013-14		2012-13		2013-14	
		लेखाओं की संख्या	राशि	लेखाओं की संख्या	राशि	लेखाओं की संख्या	राशि	लेखाओं की संख्या	राशि
1.	लाभ में कमी	5	11.48	10	29.51	1	3.98	1	3.78
2.	हानि का बढ़ना	4	6,018.96	2	1,081.47	-	-	1	4.55
3.	आर्थिक तथ्यों का खुलासा न करना	4	234.35	6	254.86	1	29.76	1	40.81
4.	वर्गीकरण की नुटियां	4	68.15	3	667.14	-	-	-	-
	योग		6,332.94		2,032.98		33.74		49.14

वर्ष के दौरान, सांविधिक लेखापरीक्षकों ने 14 लेखाओं को परिमित प्रमाण-पत्र प्रदान किये। हमने यह देखा कि कंपनियों की लेखा मानकों (ले.मा.) की अनुपालना हल्की रही। वर्ष के दौरान तेरह लेखाओं में ले.मा. से अनुपालना न करने के 44 उदाहरण मिले।

कंपनियों तथा सांविधिक निगमों के लेखाओं के बारे में महत्वपूर्ण टिप्पणियों में से कुछेक को नीचे दिया गया है।

⁵

हरियाणा राज्य आवास वित्त निगम लिमिटेड तथा हरियाणा कॉनकास्ट लिमिटेड।

तालिका 1.7

कंपनी का नाम	लेखा वर्ष	टिप्पणी का सार
हरियाणा राज्य औद्योगिकी तथा मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	2012-13	समूह उपदान स्कीम तथा अवकाश नकदीकरण स्कीम के बारे में एल.आई.सी. को देय ₹ 2.64 करोड़ की देयता का प्रावधान न करने के परिणामस्वरूप ₹ 2.64 करोड़ का लाभ अतिकथित हुआ।
हरियाणा राज्य सड़कें एवं पुल विकास निगम	2011-12	<ul style="list-style-type: none"> छ: प्रतिशत वार्षिक की बजाय एक प्रतिशत ब्याज के प्रावधान जैसा कि राज्य सरकार द्वारा निर्देश दिया गया (मार्च 2011) के परिणामस्वरूप ₹ 7.79 करोड़ के वित्त लागत के अवकथन तथा लाभ के अतिकथन हुए। वर्ष 2002-03 से 2010-11 तक गलत प्रावधान करने अथवा प्रावधान न करने से ₹ 172.67 करोड़ की वित्त लागत का अवकथन तथा रिजर्व एवं सरप्लस का अतिकथन हुआ। कंपनी द्वारा किए गए कार्यों (₹ 193.75 करोड़) पर सेवा कर के प्रावधान न करने के परिणामतः ऋण और अग्रिम के साथ-साथ वर्तमान देयता तथा प्रावधान (देय सेवाकर) का ₹ 7.98 लाख का अवकथन हुआ।
उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	2012-13	<ul style="list-style-type: none"> 2012-13 (₹ 15.27 करोड़) तथा पहले के वर्षों (₹ 6.07 करोड़) से संबंधित ₹ 21.34 करोड़ के विद्युत क्रय बिलों को शामिल न करने के कारण ₹ 21.34 करोड़ की ट्रेड क्रेडिट्स तथा संचित हानि का अवकथन हुआ। एन.एच.पी.सी. को देय जल प्रभारों के ₹ 40.74 करोड़ शामिल न करने के कारण ₹ 40.74 करोड़ की ट्रेड देयताओं तथा हानि का अवकथन हुआ। वर्ष 2012-13 के दौरान विद्युत आपूर्ति हेतु आपूर्तिकर्ता को देय ₹ 19.41 करोड़ शामिल न करने के कारण ₹ 19.41 करोड़ की हानि का अवकथन हुआ। पानीपत थर्मल पावर स्टेशन (पी.टी.पी.एस.) हेतु कोयले के कार्य-संपादन प्रोत्साहन के बारे में एच.पी.जी.सी.एल. को देय ₹ 1.99 करोड़ शामिल न करने के कारण ₹ 1.99 करोड़ की हानि अवकथित हुई। एच.वी.पी.एन.एल. को छीलिंग प्रभारों हेतु संशोधित दरों के प्रावधान न करने के कारण ₹ 19.74 करोड़ की हानि अवकथित हुई।
सांविधिक निगम का नाम	लेखा वर्ष	टिप्पणी का सार
हरियाणा राज्य भंडारण निगम	2012-13	2007-08 से 2011-12 के दौरान गन्नी बेल्स की प्राप्ति में कमी का प्रावधान न करने के कारण ₹ 4.15 करोड़ का वसूली योग्य का अतिकथन तथा वर्ष की हानि का अवकथन हुआ।

सांविधिक लेखापरीक्षकों (चार्टर्ड लेखाकारों) को कंपनी अधिनियम, 1956 के सैक्षण 619(3)(ए) के अन्तर्गत निम्नलिखित द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार लेखापरीक्षित कंपनियों में आन्तरिक नियंत्रण/आन्तरिक लेखापरीक्षा पद्धति को सम्मिलित करते हुए उनके द्वारा एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करना और उन क्षेत्रों की पहचान करना अपेक्षित है जहां सुधार की

जरूरत है। वर्ष 2013-14 के लिए, कंपनियों के संबंध में आंतरिक लेखापरीक्षा/आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में संभावित सुधार पर सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की गई प्रमुख टिप्पणियों का व्याख्यात्मक सार नीचे तालिका में दिया गया है:

तालिका 1.8

क्र. सं.	सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की गई टिप्पणियों की प्रकृति	कंपनियों की संख्या जहाँ सिफारिशें की गई थीं	परिशिष्ट-2 के अनुसार कंपनी के क्रमांक का संदर्भ
1.	स्टोर एवं स्पेयरज की न्यूनतम/अधिकतम सीमा तय न करना	5	ए4, ए6, ए8, ए11, ए14
2.	कंपनी के व्यापार की प्रकृति एवं आकार के अनुसार आन्तरिक लेखापरीक्षा पद्धति का अभाव	7	ए4, ए5, ए6, ए7, ए11, ए13, ए14
3.	मात्रा विवरण, पहचान संख्या, प्राप्ति की तिथि, परिसम्पत्तियों की मूल्य हास के बाद कीमत एवं उनकी स्थिति आदि को शामिल करते हुए उनके पूरे विवरण को दिखाने वाले उचित रिकार्ड का अनुरक्षण न करना	5	ए4, ए5, ए6, ए7, ए8,
4.	माल के क्रय पर आन्तरिक नियंत्रण की कमी	3	ए4, ए13, ए14
5.	आन्तरिक लेखापरीक्षा पद्धति का अपर्याप्त/अविद्यमान होना	6	ए4, ए6, ए7, ए11, ए13, ए14
6.	कंप्यूटर प्रणाली (ई.डी.पी.) का प्रयोग न होना	6	ए4, ए5, ए6, ए11, ए13, ए14

1.10 लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर वसूलियां

2013-14 में लेखापरीक्षा के दौरान, ₹ 5.74 करोड़ की वसूलियां उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम तथा दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के प्रबन्धन को बताई गई, जो सा.क्षे.उ. द्वारा स्वीकार कर ली गई थी एवं वर्ष 2013-14 के दौरान वसूल भी कर ली गई थी।

1.11 पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतिकरण की स्थिति

दो सांविधिक निगमों में से, हरियाणा वित्तीय निगम की पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (पृ.ले.प.) वर्ष 2012-13 तक के लिए राज्य विधानसभा को प्रस्तुत की गई थी तथा कोई बकाया नहीं था। हरियाणा राज्य भंडारण निगम के मामले में, वर्ष 2009-10 तक की पृ.ले.प. विधान सभा में प्रस्तुत की गई थी तथा 2010-11, 2011-12 तथा 2012-13 वर्षों हेतु अनुमोदित पृ.ले.प. प्रस्तुति हेतु प्रतीक्षित थे।

1.12 सार्वजनिक क्षेत्र उपकरणों का विनिवेश, निजीकरण तथा पुनर्गठन

राज्य सरकार ने 2013-14 के दौरान अपने किसी भी सा.क्षे.उ. के विनिवेश, निजीकरण तथा पुनर्गठन का कार्य नहीं किया।

1.13 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सामग्री पर विभागों के उत्तर

31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन हेतु ₹ 173.50 करोड़ से आवेष्टित दो निष्पादन लेखापरीक्षा तथा ₹ 944.90 करोड़ से आवेष्टित नौ लेखापरीक्षा अनुच्छेद, छ: सप्ताह के भीतर उत्तर प्रस्तुत करने के आग्रह के साथ, संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिवों/प्रधान सचिवों को जारी किए गए थे। तथापि, ₹ 940.78 करोड़ के धन मूल्य से आवेष्टित एक निष्पादन लेखापरीक्षा तथा सात संपादन लेखापरीक्षा अनुच्छेदों के संबंध में राज्य सरकार से उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2015)।

1.14 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई

1.14.1 लाबित उत्तर

भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन सरकार के विभिन्न कार्यालयों तथा विभागों में अनुरक्षित लेखाओं और अभिलेखों के प्रारंभिक निरीक्षण के साथ प्रारंभ हुए संवीक्षा की प्रक्रिया की पराकाष्ठा को निरूपित करता है। अतः यह आवश्यक है कि वे कार्यपालिका से समुचित तथा सामयिक प्रतिक्रिया प्राप्त करें। वित्त विभाग, हरियाणा सरकार ने सभी प्रशासनिक विभागों को निर्देश जारी किए हैं (जुलाई 1996) कि वे भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के विधानसभा में प्रस्तुति के तीन महीनों की अवधि के अंदर उसमें शामिल अनुच्छेदों/समीक्षाओं के उत्तर पी.ए.सी./कोपु से किसी प्रश्नावली की प्रतीक्षा किए बिना निर्धारित फोर्मेट में प्रस्तुत करें।

यद्यपि, 2011-12 वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधानसभा को मार्च 2013 में प्रस्तुत किए गए थे, फिर भी पांच विभागों ने, जिन पर टिप्पणियां की गई थीं, 31 मार्च 2015 तक 15 अनुच्छेदों में से 3 के उत्तर प्रस्तुत नहीं किए। विद्युत विभाग से उत्तर प्रतीक्षित थे। वर्ष 2013 का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन मार्च 2015 में विधानसभा में प्रस्तुत किया गया था।

1.14.2 लोक उपक्रम समिति (कोपु) के प्रतिवेदनों का अनुपालन

फरवरी 2009 तथा मार्च 2014 के बीच राज्य विधानसभा को प्रस्तुत कोपु के पांच प्रतिवेदनों से संबंधित 15 अनुच्छेदों के उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (दिसंबर 2014) जैसा कि नीचे इंगित किया गया है:

तालिका 1.9

कोपु रिपोर्ट का वर्ष	आवेष्टित रिपोर्टों की कुल संख्या	कोपु रिपोर्टों में पैरों की संख्या	पैरों की संख्या जिनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए
2008-09	1	14	1 (पैरा सं. 14)
2010-11	1	10	1 (पैरा सं. 8)
2011-12	1	8	2 (पैरा सं. 3 और 5)
2012-13	1	16	3 (पैरा सं. 4, 5 और 7)
2013-14	1	10	8 (पैरा सं. 2 से 8 और 10)
योग	5	58	15

कोपु के इन प्रतिवेदनों में आठ विभागों से संबंधित अनुच्छेदों के संबंध में सिफारिशों सम्मिलित हैं, जो 1999 - 2000 से 2010 - 11 के वर्षों के लिए भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में प्रकट हुई थीं।

1.14.3 कोपु की लंबित सिफारिशें

1976 - 77 से 2010 - 11 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संबंधित 180 सिफारिशों से समायुक्त समिति के सत्ताईस प्रतिवेदन, 31 मार्च 2015 तक कार्यान्वित नहीं किए गए हैं। विभागों द्वारा इन सिफारिशों के अकार्यान्वयन के कारण, कोपु द्वारा वांछित सुधार प्राप्त नहीं हो सके।

1.14.4 निरीक्षण प्रतिवेदन, प्रारूप अनुच्छेद और निष्पादन लेखापरीक्षा को उत्तर

लेखापरीक्षा के दौरान हमारे द्वारा दृष्टिगत और स्थल पर समायोजित न की गई अभ्युक्तियां पी.एस.यूज के संबंधित अध्यक्षों और राज्य सरकार के संबंधित विभागों को निरीक्षण प्रतिवेदनों (आई.आरज) के माध्यम से संप्रेषित की जाती हैं। पी.एस.यूज. के अध्यक्षों को आई.आरज के उत्तर संबंधित विभागाध्यक्षों के माध्यम से चार सप्ताह की अवधि के भीतर प्रस्तुत करने अपेक्षित होते हैं। मार्च 2014 तक जारी आई.आरज की समीक्षा ने प्रकट किया कि 12 विभागों से संबंधित 286 आई.आरज के 1,054 अनुच्छेद 31 मार्च 2015 तक लंबित रहे।

यह सिफारिश की जाती है कि सरकार सुनिश्चित करे कि: (क) निर्धारित समय सीमा के भीतर निरीक्षण रिपोर्ट/ड्राफ्ट पैराग्राफ/निष्पादन लेखापरीक्षा और कोपु की सिफारिशों पर ए.टी.एन. का जवाब भेजा जाएगा; (ख) निर्धारित अवधि के भीतर हानि/बकाया अग्रिम/अधिक भुगतान की वसूली की जाएगी; तथा (ग) लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर प्रतिक्रिया की प्रणाली तैयार होगी।

1.15 इस प्रतिवेदन का कवरेज

इस प्रतिवेदन में ₹ 1,118.40 करोड़ के वित्तीय प्रभाव से आवेष्टित ‘‘वित्तीय पुर्नगठन योजना’’ तथा ‘‘हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड’’ पर दो निष्पादन लेखापरीक्षाएं और 9 अनुच्छेद शामिल हैं।